

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक-...../ 2018

विषय:-

केन्द्र प्रयोजित योजना "Skill Development in 47 Districts affected by Left Wing Extremism" के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौसी, बांका (उग्रवाद प्रभावित) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, 100 बेडेड/50 रूम हॉस्टल, फर्नीचर एवं फर्निशिंग कार्य तथा स्थल विकास, चहारदीवारी, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास एवं कर्मचारी आवास का निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 1222.00 लाख (बारह करोड़ बाईस लाख) रु० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि केन्द्र प्रयोजित योजना "Skill Development in 47 Districts affected by Left Wing Extremism" के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौसी, बांका (उग्रवाद प्रभावित) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, 100 बेडेड/50 रूम हॉस्टल, फर्नीचर एवं फर्निशिंग कार्य तथा स्थल विकास, चहारदीवारी, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास एवं कर्मचारी आवास का निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 1222.00 लाख (बारह करोड़ बाईस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-1558 (म०), दिनांक-19/02/2018 तथा पत्रांक-509 (म०), दिनांक-17/01/2017 के क्रमांक-(II) द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य योजनान्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है-

क्र०सं०	संस्थान का नाम एवं पता	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौसी, बांका (उग्रवाद प्रभावित) स्थायी पता-अंचल- बौसी, मौजा-कुडरो थाना नं० -434, खाता नं०-167, खेसरा नं०-2420, रकबा-5.00 एकड़।	1. BUILDING:- (1.1) Administrative Building & workshop	3.67.95.332.00
		(1.2) 100Beded/50 Room Hostel (G+3)	4.19.93.859.00
		SUM-	7.87.89.191.00
		2. Extra for Furniture/Furnishing @ 15% of Sum	1.18.18.379.00
		3. Contingency- @ 1.0 % upto Rs.100 Lac	1.00.000.00
		@ 0.5% above Rs.100 Lac	4.03.038.00
		Total Rs.-	9.11.10.608.00
		(A) Say Rs.-	911.00 Lac
		1. BUILDING:- (1.1) Staff Hostel	1.95.99.930.00
		(1.2) Principal Residence	24.46.354.00
		(1.3) Vice-Principal Residence	17.08.200.00
		SUM-	2.37.54.484.00
		(1.4) Boundary Wall & Campus Development @ 15% of Sum	35.63.173.00
		2. Contingency- @ 1.0 % upto Rs.100 Lac	1.00.000.00
@ 0.5% above Rs.100 Lac	86.588.00		
3. Extra for Furniture/Furnishing @ 15% of Sum	35.63.173.00		
Total Rs.-	3.10.67.417.00		
(B) Say Rs.-	311.00 Lac		
OR Say Rs.- (A)+(B)	1222.00 Lac		

2- इस योजनान्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051- निर्माण, उपशीर्ष- 0222- कौशल विकास योजना, विपत्र कोड-03-4059600510222, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष -0222.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से 574.60 लाख (पाँच करोड़ चौहत्तर लाख साठ हजार), मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, उप शीर्ष-0322, -कौशल विकास योजना, विपत्र कोड-03-4059600510322, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष-0322.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से 191.53 लाख (एक करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार) तथा शेष राशि 455.87 लाख (चार करोड़ पचपन लाख सतासी हजार) मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, उप शीर्ष-0112 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण/ पुनर्निर्माण/ उन्नयन, विपत्र कोड-03-4059600510112, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष-0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबधित राशि से किया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण नही होने की स्थिति में स्वतः आगे की वित्तीय वर्षों में संबंधित शीर्षों में उपबधित/प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक- 17-04-1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बाँका से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- 7- संचिका संख्या-टी-3/योजना (LWE)-02/2017 के पृष्ठ -28/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह० /
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग


ज्ञापक टी-3/योजना (LWE)-02/2017-...../प ट ना, दिनांक-...../2018

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/ वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० /-
विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापक- टी-3/योजना (LWE)-02/2017-.....1529...../प ट ना, दिनांक-04.07.2018

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर /जिला पदाधिकारी, बाँका/जिला कोषागार पदाधिकारी, बाँका/जिला कोषागार पदाधिकारी, बाँका/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बाँका/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौरी, बाँका (उग्रवाद प्रभावित)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
3/7/18